यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, सचिव, उत्तराखण्ड़ सूचना आयोग, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, सचिव, उत्तराखण्ड़ सूचना आयोग, देहरादून के माह 12/2015 से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री खजान सिंह एवं श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.10.2020 से 08.10.2020 तक श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग–प्रथम

परिचयात्मक– इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री टी.एस. नेगी एवं श्री ललित थपलियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 28.12.2015 से 31.12.2015 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी, जिसमें माह 06/2013 से 11/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान में माह 12/2015 से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के कियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र– देहरादून।

(ii)(अ) विगत वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः–

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015–16			184.00	117.90	164.41	157.47		73.04
2016–17			210.50	98.72	174.31	154.32		131.77
2017–18			130.61	128.29	178.27	167.28		13.31
2018–19	–	–	158.09	126.18	180.01	175.10	–	36.82
2019–20			160.00	136.20	204.50	181.41	–	46.89
2020–21 (09/20)	–	–	72.61	69.65	113.25	79.77	–	36.44

(**ब**)केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः–

(रू लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत
2016–17	–डी0ओ0पी0टी0–	–	3.00	3.00	00
2017–18	–डी0ओ0पी0टी0–	–	3.00	3.00	00
2018–19	–डी0ओ0पी0टी0–	–	3.00	1.77	1.23
2019–20	–डी0ओ0पी0टी0–	1.23	–	1.23	00
2020–21 (09/20)	–डी0ओ0पी0टी0–	–	00	00	00

(iii)इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई कार्यालय, उत्तराखण्ड़ सूचना आयोग, देहरादून 'सी' श्रेणी की है। इकाई का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

मुख्य सूचना आयुक्त
राज्य सूचना आयुक्त
सचिव
उप सचिव
अनुसचिव
सहायक लेखाधिकारी

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय, सचिव़, उत्तराखण्ड़ सूचना आयोग, देहरादून की लेखापरीक्षा में लेन–देन–कम–अनुपाल को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, सचिव़, उत्तराखण्ड़ सूचना आयोग, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 07/2020 एवं 05/2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971(डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'अ'</u>

-----------शून्य---------

भाग 2 (ब)

प्रस्तर: 01- रु. 4.26 लाख की अनियमित अधिप्राप्ति।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 **के नियम 9 के अनुसार** प्रत्येक अवसर पर रु0 50000/- से अधिक तथा रु0 3,00,000 तक लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है **तथा नियम** 12 (1) **के अनुसार** सीमित निविदा पृच्छा की विधि उस समय अपनायी जा सकती है, जब अधिप्राप्ति की जाने वाली सामग्री की अनुमानित लागत रु0 60.00 लाख तक हो। कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के आधिकारिक निवास हेतु 2017-18 में रु 4.25 लाख मूल्य के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक, बिजली उपकरण और फर्नीचर आदि का क्रय अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए बिना निविदा आमंत्रित किए, टुकड़ो मे स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर सचिव, सूचना आयोग ने कहा कि भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त सामग्री की अधिप्राप्ति, उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के प्राविधान के अनुसार की जानी चाहिए, जो कि नही की गई।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01- रु 3.20 लाख व्यय का दोषपूर्ण वर्गीकरण।

उत्तराखंड शासन के बजट मैनुअल-4 में विभिन्न उप लेखाशीर्षों व्यय के वर्गीकरण हेतु निर्देशित किया गया है जिसके अनुसार फर्नीचर क्रय पर किया गया व्यय उप लेखाशीर्ष 12 में वर्गीकृत किया जाना चाहिए एवं उप लेखाशीर्ष में क्रमशः 46 और 47 में कम्प्यूटर हार्डवेयर और कम्प्यूटर स्टेशनरी क्रय पर हुए व्यय को वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के देयकों की नमूना जाँच में पाया गया कि कम्प्यूटर स्टेशनरी, एवं कंप्यूटर हार्डवेयर पर किए गए रु. 3.20 लाख के व्यय को बजट मेनुअल-4 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उप लेखाशीर्ष 46 एवं 47 में वर्गीकृत किए जाने के स्थान पर उप लेखाशीर्ष 12 में वर्गीकृत किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर सचिव, सूचना आयोग ने उत्तर दिया कि भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 02. रू 3.00 लाख के उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को प्रेषित न किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियमावली–2017 के अध्याय–9 में नियम 238 (1) (*उपयोग प्रमाण–पत्र)* के अनुसार किसी संस्था या संगठन के लिए अनावर्ती अनुदान के संबंध में, सहायता अनुदान स्वीकृत किए जाने के **उद्देश्य** से, प्रयोजन जिसके लिए अनुदान स्वीकृत किया गया था, प्राप्त अनुदान के वास्तविक उपयोग का जीएफआर फार्म–12–क में एक प्रमाण–पत्र पर बल दिया जाना चाहिए तथा नियम 230(10) के अनुसार संबंधित संस्था या संगठन द्वारा वित्त वर्ष की समाप्ति से बारह माह के अंदर उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए।

कार्यालय, सचिव, उत्तराखण्ड़ सूचना आयोग, देहरादून के भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से सम्बंधित पत्रावलियों की संवीक्षा में पाया गया कि अनु सचिव, डी0ओ0पी0टी,भारत सरकार के पत्र दिनांक 6 सितम्बर, 2018 के द्वारा कार्यालय को Improving Transparency and Accoountability in Government through Effective Implementation of RTI Act-2005 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के निष्पादन हेतु रू 3.00 लाख की धनराशि आंवटित की गयी। तद्क्रम में कार्यालय द्वारा राज्य के अन्तर्गत पर्वतीय एवं मैदानी जनपदों के विकास खण्ड़ों एवं तहसीलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाकर उक्त धनराशि का व्यय माह जून 2019 तक किया गया परन्तु लेखापरीक्षा तिथि तक उक्त व्यय की गयी धनराशि के व्यय से सम्बंधित अभिलेख एवं उपयोग प्रमाण–पत्र भारत सरकार को प्रषित नहीं किये गये थे, जबकि उक्त व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रेषित **किये जाने चाहिए थे।** जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रतिउत्तर में बताया कि **उपयोगिता** प्रमाण–पत्र यथाशीघ्र प्रेषित कर दिये जायेगे।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–2 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
48/2015-16	शून्य	1,2	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
48/2015-16	भाग दो 'ब' प्रस्तर 1- ₹5.07 लाख का व्यय आवर्तन।			अनुपालन प्रस्तुत नही किया गया अतः प्रस्तर यथावत रखे जाते हैं।
	भाग दो 'ब' प्रस्तर 2- ₹4.00 लाख का अनियमित व्यय।			

भाग–IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः–शून्य

भाग–V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय, सचिव, उत्तराखण्ड़ सूचना आयोग, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
   तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः– शून्य
2. सतत् अनियमिततायेंः– शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/डी0डी0ओ0 का कार्यभार वहन किया गया–

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री मनमोहन नैथानी	सहा0 लेखाधिकारी	23.06.2015	28.06.2017
2	सुश्री शालिनी नेगी	उप सचिव	28.06.2015	वर्तमान तक

लघु एवं प्रकियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, सचिव, उत्तराखण्ड़ सूचना आयोग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ए0एम0जी0–III को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-III